



श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

(केंद्रीय विश्वविद्यालय, संसद अधिनियम द्वारा स्थापित)

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

धारा 4(1) (बी) (V)

1.5: कार्य के निर्वहन के लिए रखे गए नियम, विनियम, निर्देश, नियमावली और रिकॉर्ड

1.5.1 : अभिलेख/ नियमावली /निर्देश का शीर्षक और प्रकृति:

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में विभिन्न फाइलें, दस्तावेज/अभिलेख केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 के अनुसार संदर्भ और पत्राचार के साथ संबंधित अनुभागों द्वारा बनाए व रखे जाते हैं, जो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

1.5.2 : नियमों, विनियमों, निर्देशों, नियमावली और अभिलेखों की सूची:

- [केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम-2020](#)
- [वार्षिक रिपोर्ट](#)
- [वार्षिक लेखा-जोखा](#)
- [भर्ती नियम](#)
- [संगठन चार्ट](#)
- [शक्तियों का प्रत्यायोजन](#)
- [आरक्षण रोस्टर](#)
- [आवासीय क्वार्टरों के आवंटन के नियम](#)
- [स्टाफ क्वार्टर आवंटन-2015 के लिए रोस्टर](#)
- [सीजीएचएस के तहत अस्पताल](#)
- [समिति की बैठकों के कार्यवृत्त](#)
- [विश्वविद्यालय अध्यादेश](#)

कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई - शून्य

1.5.3 : अधिनियम/नियम पुस्तिकाएँ आदि:

1.5.2 में उल्लिखित समान।

1.5.4 : स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश:

[Transfer Orders](#)

<https://www.slbsrsv.ac.in/circulars>

<https://www.slbsrsv.ac.in/circulars/circulars-archive>

नई दिल्ली विश्वविद्यालय का एकमात्र परिसर है। केवल अंतर विभागीय

स्थानांतरण ही किए जाते हैं। अंतर विभागीय स्थानांतरण के लिए कार्यालय आदेश यहां दिए गए हैं:

स्थानांतरण आदेश

<https://www.slbsrsv.ac.in/circulars>

<https://www.slbsrsv.ac.in/circulars/circulars-archive>